भारत सरकार

खान मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 67

17 जुलाई, 2017 को उत्तर के लिए

विकास के लिए खानों से होने वाली आय का
आंशिक उपयोग

67. डा॰ विनय पी॰ सहस्त्रबुद्धेः

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की संबंधित जिलों के विकास हेतु खानों से होने वाली आय के एक भाग का उपयोग करने हेतु कोई योजना है;

(ख) इस धनराशि को प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है; और

(ग) सरकार के अनुसार इस योजना के कारण विकास के क्षेत्र में क्या उपलब्धि प्राप्त की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खान, विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री पीयूष गोयल)

(क) : खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम, 1957) को एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित किया गया था । संशोधन प्रावधानों में से एक संशोधन का संबंध धारा 9(ख) को शामिल करने से है जिसमें खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित किसी भी जिले में जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) की स्थापना की व्यवस्था है । डीएमएफ का उद्देश्य खनन संबंधी कार्यकलापों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए कार्य करना है ।

(ख) : डीएमएफ कार्यकलापों का वित्तपोषण खनन पट्टा धारकों से प्राप्त सांविधिक अंशदान में से किया जाएगा । खनन पट्टाधारकों और पूर्वेक्षण लाइसेंस-सह-खनन पट्टाधारकों द्वारा जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) में अंशदान की दरों को निर्धारित करने के लिए, खान मंत्रालय ने खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9ख के तहत खनिज (जिला खनिज फाउंडेशन में अंशदान) नियम, 2015 बनाया गया है । उक्त नियमों को दिनांक 17.09.2015 को शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया गया है । उक्त नियमों के अनुसार, प्रत्येक खनन पट्टाधारक अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस-सह-खनन पट्टाधारक, रॉयल्टी के अतिरिक्त, उस

जिले, जिसमें खनन कार्यकलाप किए जाते हैं, के जिला खनिज फाउंडेशन में भी निम्न दर के अनुसार भुगतान करेगा : -

(i) 12 जनवरी, 2015 को अथवा उसके बाद प्रदान किए गए खनन पट्टा अथवा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा, जैसा भी मामला हो, के संबंध में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची के अनुसार भुगतान की गई रॉयल्टी का दस प्रतिशत; और

(ii) 12 जनवरी, 2015 से पहले प्रदान किए गए खनन पट्टों के संबंध में उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अनुसार भुगतान की गई रॉयल्टी का तीस प्रतिशत ।

डीएमएफ में अंशदान के रूप में अधिसूचित राशि सीधे राज्य सरकारों द्वारा एकत्र की जाती है और संबंधित डीएमएफ में जमा की जाती है ।

(ग) : राज्यों को डीएमएफ के कार्यान्वयन में सहयोग देने के लिए, केंद्र सरकार ने डीएमएफ द्वारा सृजित निधियों के उपयोग से खनन संबंधी कार्यकलापों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्तियों के कल्याण के उद्देश्य से प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) शुरू की है । इस संदर्भ में, एमएमडीआर एक्ट, 1957 की धारा 20क के तहत दिनांक 16.09.2015 को निदेश जारी किए हैं जिसमें राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को उनके द्वारा डीएमएफ के लिए बनाए जाने वाले नियमों में पीएमकेकेकेवाई को शामिल करने के निदेश दिए गए हैं । डीएमएफ के अंतर्गत निधि का कम से कम 60% उपयोग उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए किया जाएगा जैसे : (i) पेयजल आपूर्ति; (ii) पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपायों; (iii) स्वास्थ्य देखभाल (iv) शिक्षा (v) महिला एवं बाल कल्याण, (vi) वृद्ध एवं दिव्यांग जनों का कल्याण (vii) कौशल विकास; और (viii) स्वच्छता । निधि की शेष राशि का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा : (i) भौतिक आधारभूत संरचना; (ii) सिंचाई (iii) ऊर्जा एवं वाटरशैड विकास; और (iv) खनन जिलों में पर्यावरणीय गुणवत्ता को बढ़ाने के अन्य उपाय ।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9ख की उप-धारा (3) के अनुसार डीएमएफ की संरचना और कार्य के साथ-साथ इन निधियों के उपयोग के तरीकों संबंधी नियमों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना है । राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए ब्यौरें के अनुसार (31.05.2017 को) 11 खनिज संपन्न राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना द्वारा कुल 9179 करोड़ रू. की राशि एकत्र की गई है । इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा ओडिसा राज्य सरकारों ने भी पीएमकेकेकेवाई के कार्यान्वयन के लिए योजना आरंभ कर दी है । पीएमकेकेकेवाई के तहत योजनाओं का स्वरूप ऊपर उल्लेख के अनुसार है ।

*****